अध्याय I: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अवलोकन

1.1 परिचय

यह प्रतिवेदन कुछ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई) के निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों को शामिल करती है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य विधानमंडल के ध्यान में लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने और ऐसी नीतियाँ और निर्देश बनाने में सक्षम होने की उम्मीद है जिनसे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और बेहतर शासन में योगदान मिलेगा।

इस प्रतिवेदन को निम्नलिखित तीन अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है:

अध्याय 1 में एसपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन और कामकाज का, उनके खातों को तैयार करने और प्रस्तुत करने की स्थिति, लेखापरीक्षा का अधिदेश, खातों की लेखा परीक्षा और पूरक लेखा परीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका के परिणाम, महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा अवलोकन और विभिन्न लेखा परीक्षा उत्पादों जैसे निष्पादन लेखा परीक्षा (पीएएस), विषय विशिष्ट अनुपालन लेखा परीक्षा (एसएससीए), व्यक्तिगत अनुपालन लेखा परीक्षा कंडिकाएँ, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई आदि का एक संक्षिप्त अवलोकन शामिल है।

अध्याय 2 में झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कामकाज पर निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित अवलोकन शामिल हैं।

अध्याय 3 में झारखंड राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की खरीद गतिविधि पर एक एसएससीए और दो एसपीएसई[1] से संबंधित तीन पृथक अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ शामिल हैं

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश

यह अध्याय वर्ष 2022-23 के लिए झारखंड सरकार (झा.स.) के एसपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है, जिसमें सरकारी कंपनियां और सरकार द्वारा नियंत्रित झा.स.की अन्य कंपनियां शामिल हैं जो भारत के नियंत्रक और

[1] (i) झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और (ii) झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड

महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। झारखंड में कोई वैधानिक निगम नहीं हैं ।

इस अध्याय में, एसपीएसई शब्द में उन सरकारी कंपनियों को शामिल किया गया है जिनमें झा.स.की प्रत्यक्ष होल्डिंग 51 प्रतिशत या उससे अधिक है, ऐसी सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियां और साथ ही झा.स.द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित अन्य कंपनियां हैं।

इस प्रतिवेदन में शामिल एसपीएसई का वित्तीय प्रदर्शन उनके वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ-साथ एसपीएसई से प्राप्त जानकारी से लिया गया है। इसके अलावा, एसपीएसई के वित्तीय विवरणों की समीक्षा के प्रभाव जिसके परिणामस्वरूप उनका संशोधन और लेखा परीक्षकों की प्रतिवेदन में संशोधन हुआ है, को शामिल किया गया है। प्रतिवेदन में कॉर्पोरेट प्रशासन और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति भी शामिल है।

राज्य में 31 मार्च 2023 तक एसपीएसई की कुल संख्या 32 थी (तीन निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ[2] और एक[3] सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी सहित)। प्राप्त नवीनतम अंतिम खातों (दिसंबर 2023 तक) के आधार पर, इस अध्याय में 17 एसपीएसई (16 सरकारी कंपनियां और एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी) को शामिल किया गया है।

1.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित, सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, सीएजी कंपनियों

[2] करणपुरा एनर्जी लिमिटेड (केईएल), पतरातू एनर्जी लिमिटेड (पीईएल) और झारबिहार कोलियरी लिमिटेड (जेसीएल)

[3] झारखंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करता है और जिस तरह से खातों की लेखापरीक्षा की जानी है, उस पर निर्देश देता है। इसके अलावा, सीएजी को कंपनियों की पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

1.3 एसपीएसई तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में और उनका योगदान

लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक प्रकृति की गतिविधियों को करने के लिए एसपीएसई की स्थापना की जाती है तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। 31 मार्च 2023 को 17 एसपीएसई का विवरण, जिनके पिछले तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) में से किसी भी एक वर्ष के लिए खाते प्राप्त हुए हैं, **परिशिष्ट 1.1** में दिए गए हैं। **परिशिष्ट 1.2** में उन 15 एसपीएसई का विवरण, जिनके खाते तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जिनके पहले वर्ष के खाते प्राप्त नहीं हुए हैं, दिखाए गए हैं।

झारखंड में तीन ऐसे एसपीएसई हैं, जिनमें पूंजी (₹1.10 करोड़) एवं दीर्घकालिक ऋण (₹34.83 करोड़) के रूप में ₹35.93 करोड़ का निवेश है, जो स्थापना के बाद से निष्क्रिय रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि इन निष्क्रिय एसपीएसई में निवश राज्य के आर्थिक विकास में योगदान नहीं देता है। तीन एसपीएसई में से, दो (पतरातू एनर्जी लिमिटेड और झारखंड कोलियरी लिमिटेड) एसपीएसई की समापन प्रक्रिया शुरू करने को उनके बोर्डों[4] द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, झा.स. ने कंपनी अधिनियम 2013 और अन्य संबंधित नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में "एक परिसमापक की नियुक्ति कर स्वैच्छिक समापन" के माध्यम से पतरातू एनर्जी लिमिटेड को बंद करने का निर्णय[5] लिया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के लिए एसपीएसई के टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में एसपीएसई की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। 2020-23 के दौरान राज्य जीएसडीपी में एसपीएसई के टर्नओवर के योगदान

[4] पीईएल: 5वीं एजीएम (15 सितंबर 2017), जेसीएल: 16वीं एजीएम (02 फरवरी 2018)

[5] ऊर्जा विभाग, झारखंड सरकार के संकल्प संख्या- 1819 दिनांक 14.10.2024 के अनुसार

की प्रवृत्ति **तालिका 1.1** में दी गई है।

तालिका 1.1: झारखंड के जीएसडीपी की तुलना में एसपीएसई के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
टर्नओवर			
विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई	5,018.57	6,158.74	6,289.58
गैर-विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई	63.21	84.15	86.23
कुल	**5,081.78**	**6,242.89**	**6,375.81**
पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में टर्नओवर में प्रतिशत परिवर्तन	-9.36	22.85	2.13
झारखंड की जीएसडीपी	2,96,664	3,58,863	3,93,722
पिछले वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन	-4.40	20.97	9.71
झारखंड के जीएसडीपी में टर्नओवर का प्रतिशत	1.71	1.74	1.62

(स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार जीएसडीपी के आंकड़े)

सत्रह[6] एसपीएसई का टर्नओवर 2020-21 में 5,081.78 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 6,375.81 करोड़ रुपये हो गया। झारखंड के जीएसडीपी में एसपीएसई का योगदान 2020-21 में 1.71 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 1.74 प्रतिशत हो गया, लेकिन 2022-23 में घटकर 1.62 प्रतिशत हो गया।

2020-21 से 2022-23 के दौरान जीएसडीपी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर[7] (सीएजीआर) 8.26 प्रतिशत थी, जबकि इसी अवधि के दौरान, राज्य पीएसयू के टर्नओवर का सीएजीआर 4.38 प्रतिशत था। इसके परिणामस्वरूप एसपीएसई के टर्नओवर की हिस्सेदारी 1.71 प्रतिशत से घटकर 1.62 प्रतिशत हो गई।

[6] पंद्रह एसपीएसई, जिनके खाते तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं (अर्थात 2020-21 से आगे), को बाहर रखा गया है

[7] चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर [{(2022-23 का मूल्य/2019-20 का मूल्य)^(1/3 वर्ष)}-1]*100 है। वर्ष 2019-20 के लिए एसपीएसई का कारोबार और जीएसडीपी क्रमशः ₹ 5,606.27 करोड़ और ₹ 3,10,305 करोड़ था

1.4 एसपीएसई में निवेश और बजटीय सहायता

एसपीएसई में इक्विटी होल्डिंग और ऋण

इकत्तीस सरकारी कंपनियों और एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी में मार्च 2023 के अंत तक इक्विटी और ऋण में निवेश की राशि **तालिका 1.2** में दी गई है।

तालिका 1.2: सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी में इक्विटी निवेश और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2022 के अनुसार			31 मार्च 2023 के अनुसार		
	ईक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल	ईक्विटी	दीर्घावधि ऋण	कुल
राज्य सरकार	9,454.73	16,943.73	26,398.46	10,513.35	19,969.47	30,482.82
अन्य (सरकारी कंपनियों सहित)	52.34	2,162.51	2,214.85	61.95	2,531.97	2,593.92
कुल निवेश	**9,507.07**	**19,106.24**	**28,613.31**	**10,575.30**	**22,501.44**	**33,076.74**
कुल निवेश में राज्य सरकार के निवेश का प्रतिशत	99.45	88.68	92.26	99.41	88.75	92.16

(स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (झारखंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) में राज्य सरकार और अन्य द्वारा वर्ष 2022-23 तक निवेश की गई पूंजी ₹34.41 करोड़ थी और इसे **तालिका 1.2** में शामिल किया गया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 32 एसपीएसई में अंकित मूल्य पर कुल इक्विटी होल्डिंग में ₹1,068.23 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। राज्य सरकार द्वारा एसपीएसई की इक्विटी में निवेश, 2021-22 में ₹9,454.73 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹10,513.35 करोड़ हो गया। विद्युत् क्षेत्र के दो एसपीएसई, जेबीवीएनएल (₹3,246.45 करोड़) और जेयूएसएनएल (₹1,598.96 करोड़) में इक्विटी होल्डिंग राज्य की कुल इक्विटी होल्डिंग का 45.82 प्रतिशत थी। उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार द्वारा एक गैर- विद्युत् क्षेत्र के एसपीएसई

अर्थात झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 31 मार्च 2023 तक इक्विटी में निवेश ₹1,000 करोड़ था।

31 मार्च 2023 तक क्षेत्र-वार कुल इक्विटी, राज्य सरकार द्वारा इक्विटी योगदान और राज्य सरकार द्वारा एसपीएसई को दिए गए ऋण सहित दीर्घकालिक ऋण **तालिका 1.3** में दिए गए हैं।

तालिका 1.3: 31 मार्च 2023 तक एसपीएसई में क्षेत्र-वार निवेश

विवरण	निवेश[8] (₹ करोड़ में)					कुल इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण का प्रतिशत
	कुल इक्विटी	राज्य सरकार की इक्विटी	कुल दीर्घकालिक ऋण	राज्य सरकार के ऋण	कुल इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण	
विद्युत क्षेत्र	9,121.25	9,120.15	22,411.14	19,916.20	31,532.39	95.33
गैर-विद्युत क्षेत्र	1,454.05	1,393.20	90.30	53.27	1,544.35	4.67
कुल	**10,575.30**	**10,513.35**	**22,501.44**	**19,969.47**	**33,076.74**	**100.00**

(स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

एसपीएसई में निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत् क्षेत्र के एसपीएसई पर था, जिसे 31 मार्च 2023 तक ₹33,076.74 करोड़ के कुल निवेश का 95.33 प्रतिशत (₹31,532.39 करोड़) प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार का हिस्सा (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण में) एसपीएसई में ₹33,076.74 करोड़ के कुल निवेश का 92.16 प्रतिशत (₹30,482.82 करोड़) था।

1.5 एसपीएसई से रिटर्न

1.5.1 एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

नवीनतम अंतिम खातों के आधार पर, गैर-विद्युत क्षेत्र से संबंधित आठ एसपीएसई ने 2020-21 में ₹32.22 करोड़ का लाभ दर्ज किया, जिनमें से 70.12 प्रतिशत का योगदान दो एसपीएसई (जेएसबीसीसीएल[9] और जूडको[10])

[8] निवेश में इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं

[9] झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

[10] झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

और 11 एसपीएसई (दो विद्युत् और नौ गैर- विद्युत् क्षेत्र) ने वर्ष 2021-22 के दौरान ₹58.13 करोड़ का लाभ दर्ज किया, जिसमें से दो एसपीएसई (जेएसबीसीसीएल और जेयूयूएनएल[11]) द्वारा 71.20 प्रतिशत का योगदान दिया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान, 12 एसपीएसई ने ₹ 90.71 करोड़ का लाभ दर्ज किया, जिसमें से 83.30 प्रतिशत का योगदान केवल तीन एसपीएसई (जेएसबीसीसीएल, जेईएमसीएल[12] और जेयूयूएनएल) द्वारा किया गया था। वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले एसपीएसई **तालिका 1.4** में दिए गए हैं ।

तालिका-1.4: वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान लाभ कमाने वाले एसपीएसई

क्र.सं.	एसपीएसई का नाम	2020-21		2021-22		2022-23	
		निवल लाभ (₹ करोड़ में)	एसपीएसई के कुल लाभ में लाभ का प्रतिशत	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	एसपीएसई के कुल लाभ में लाभ का प्रतिशत	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	एसपीएसई के कुल लाभ में लाभ का प्रतिशत
1	ग्रेटर रांची विकास प्राधिकरण।	4.94	15.33	1.30	2.24	1.30	1.43
2	झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.30	4.03	0.96	1.65	0.96	1.06
3	झारखंड रेशम कपड़ा और हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	0.09	0.28	0.79	1.36	0.79	0.87
4	झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	9.80	30.42	4.02	6.92	4.95	5.46
5	झारखंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.06	0.19	-	-	-	-
6	झारखंड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	-	-	0.33	0.57	0.33	0.36
7	झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर	2.13	6.61	2.13	3.66	2.13	2.35

[11] झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड

[12] झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

क्र.सं.	एसपीएसई का नाम	2020-21		2021-22		2022-23	
		निवल लाभ (₹ करोड़ में)	एसपीएसई के कुल लाभ में लाभ का प्रतिशत	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	एसपीएसई के कुल लाभ में लाभ का प्रतिशत	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	एसपीएसई के कुल लाभ में लाभ का प्रतिशत
	प्रोक्योरमेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड						
8	झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	12.79	39.70	29.49	50.73	29.49	32.51
9	झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	-	2.63	4.52	4.67	5.15
10	झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	-	-	11.90	20.47	11.90	13.12
11	पतरातू एनर्जी लिमिटेड	-	-	0.02	0.03	0.01	0.01
12	झारखंड कोलियरी लिमिटेड	-	-	-	-	0.01	0.01
13	झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	34.17	37.67
14	रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.11	3.45	4.56	7.84	-	-
कुल		**32.22**	**100.00**	**58.13**	**100.00**	**90.71**	**100.00**

(स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

वर्ष 2022-23 के दौरान उपरोक्त बारह लाभ कमाने वाले एसपीएसई में से केवल तीन एसपीएसई यानी जेयूयूएनल, जेएसबीसीसीएल और जेईएमसीएल ने ₹10 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया था।

1.5.2 एसपीएसई द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की थी जिसके तहत सभी लाभ कमाने वाले उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा धारित इक्विटी पर न्यूनतम रिटर्न का भुगतान किया जा सके। नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले 12 एसपीएसई में से किसी ने भी लाभांश की घोषणा नहीं की थी।

1.6 ऋण सेवाएँ

1.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का उपयोग किसी कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों (ईबीआईटी) से पहले कंपनी की आय को उसी अवधि के ब्याज खर्चों द्वारा विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। नीचे दिए गए ब्याज कवरेज अनुपात से संकेत मिलता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। तीन[13] कार्यात्मक विद्युत् क्षेत्र के एसपीएसई, जिन्होंने राज्य सरकार से ऋण लिया था, के आईसीआर को **तालिका 1.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	**ब्याज (₹ करोड़ में)**	**ईबीआईटी (₹ करोड़ में)**	**एसपीएसई की संख्या [14]**	**1 के बराबर या उससे अधिक आईसीआर वाले एसपीएसई की संख्या**	**1 से कम आईसीआर वाले एसपीएसई की संख्या**
2020-21	936.93	0	3	0	3
2021-22	987.13	14.15	3	1	2
2022-23	1,596.75	14.15	3	1	2

(स्रोत: 31 दिसंबर 2023 तक एसपीएसई के नवीनतम अंतिम वार्षिक खाते)

जैसा कि **तालिका 1.5** में दिखाया गया है, दो विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई[15] का आईसीआर वर्ष 2022-23 के दौरान एक से कम था जो उनके ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त कमाई का संकेत था और दिवालिया होने का जोखिम था ।

1.6.2 राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

31 मार्च 2023 तक, राज्य सरकार द्वारा तीन विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई (जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और जेयूयूएनएल) को प्रदान किए गए दीर्घकालिक

[13] जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और जेयूयूएनएल

[14] राज्य सरकार से ऋण केवल जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और जेयूयूएनएल द्वारा लिया गया

[15] जेबीवीएनएल और जेयूएसएनएल।

ऋणों पर ₹6,486.44 करोड़ की ब्याज राशि बकाया थी। बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण **तालिका 1.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**एसपीएसई का नाम**	**ऋण पर बकाया ब्याज**	**बकाया ऋण पर ब्याज**		
			1वर्ष से कम	**1 वर्ष से 3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**
विद्युत क्षेत्र					
1	जेबीवीएनएल	3,543.75	1,153.80	970.60	1,419.35
2	जेयूएसएनएल	2,899.71	439.00	940.43	1,520.28
3	जेयूयूएनएल	42.98	3.95	13.03	26.00
कुल		**6,486.44**	**1,596.75**	**1,924.06**	**2,965.63**

(स्रोत: 31 दिसंबर 2023 तक एसपीएसई के नवीनतम अंतिम वार्षिक खाते)

तालिका 1.6 से यह देखा जा सकता है कि ₹2,965.63 करोड़ की ब्याज राशि वर्ष 2013-14 से तीन वर्षों से अधिक के लिए बकाया थी। कंपनियां ब्याज का भुगतान नहीं कर सकीं।

1.7 एसपीएसई का वित्तीय प्रदर्शन

1.7.1 नियोजित पूंजी पर रिटर्न

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई) एक ऐसा अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित होती है। आरओसीई की गणना नियोजित [16]पूंजी द्वारा ब्याज और करों (ईबीआईटी) से पहले कंपनी की आय को विभाजित करके की जाती है । 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान 17 एसपीएसई (6 विद्युत और 11 गैर-विद्युत क्षेत्र) के आरओसीई का विवरण **तालिका 1.7** में दिया गया है ।

[16] नियोजित पूंजी = चुकता शेयर पूंजी + मुक्त आरक्षित निधि और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित घाटा - आस्थगित राजस्व व्यय।

तालिका 1.7: नियोजित पूंजी पर रिटर्न

वर्ष	वर्षवार/ क्षेत्रवार विवरण	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2022-23	विद्युत	-4,037.73	4,704.87	-85.82
	गैर-विद्युत	104.75	570.66	18.36
	कुल	**-3,932.98**	**5,275.53**	**-74.55**
2021-22	विद्युत	-2,506.82	4,648.96	-53.92
	गैर-विद्युत	60.59	1,096.39	5.53
	कुल	**-2,446.23**	**5,745.35**	**-42.58**
2020-21	विद्युत	-2,712.24	11,696.58	-23.19
	गैर-विद्युत	35.28	1,206.63	2.92
	कुल	**-2,676.96**	**12,903.21**	**-20.75**
कुल योग		**-9,056.17**	**23,924.09**	**-37.85**

(स्रोत: नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार)

तालिका 1.7 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 में विद्युत क्षेत्र के एसपीएसई का आरओसीई (-) 23.19 प्रतिशत था, जो वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान क्रमशः ₹ 2,712.24 करोड़, ₹ 2,506.82 करोड़ और ₹ 4,037.73 करोड़ के नुकसान के कारण वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान और घटकर (-) 53.92 और (-) 85.82 प्रतिशत हो गया।

हालांकि, 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान गैर-विद्युत क्षेत्र की आरओसीई 2.92 प्रतिशत से बढ़कर 18.36 प्रतिशत हो गई।

1.7.2 एसपीएसई द्वारा इक्विटी पर रिटर्न

इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) वित्तीय प्रदर्शन के आकलन का एक उपाय है कि लाभ पैदा करने के लिए कंपनी की संपत्ति का उपयोग कितनी प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। आरओई की गणना शेयरधारकों के फंड द्वारा शुद्ध आय (यानी, करों के बाद शुद्ध लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए गणना की जा सकती है यदि शुद्ध आय और शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्याएं हैं।

शेयरधारकों के फंड की गणना संचित हानियों और आस्थगित राजस्व व्यय के शुद्ध चुकता पूंजी और मुक्त भंडार को जोड़कर की जाती है और यह बताती है

कि यदि सभी संपत्ति बेची गई और सभी ऋणों का भुगतान किया गया तो कंपनी के शेयरधारकों के लिए कितना बचेगा। एक धनात्मक शेयरधारकों के फंड से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देनदारियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, जबकि एक ऋणात्मक शेयरधारक इक्विटी का मतलब है कि देनदारियां संपत्ति से अधिक हैं ।

31मार्च 2023 को समाप्त तीन वर्षों के लिए एसपीएसई के क्षेत्र-वार आरओई को **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.8: एसपीएसई की इक्विटी पर क्षेत्रवार रिटर्न

वर्षवार, क्षेत्रवार विवरण	ईएआईटी / निवल आय(₹ करोड़ में)	शेयरधारकों का कोष (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
2022-23			
विद्युत	-4,038.78	-13,005.21	-
गैर-विद्युत	78.79	526.79	14.96
कुल	**-3,959.99**	**-12,478.42**	**-**
2021-22			
विद्युत	-2,509.07	-10,056.48	-
गैर-विद्युत	46.21	508.63	9.09
कुल	**-2,462.86**	**-9,547.85**	**-**
2020-21			
विद्युत	-2,711.71	-7,243.84	-
गैर-विद्युत	22.12	450.08	4.91
कुल	**-2,689.59**	**-6,793.76**	**-**

(स्रोत: नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार)

तालिका 1.8 से यह देखा जा सकता है कि गैर-विद्युत क्षेत्र का आरओई 2020-21 में 4.91 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 14.96 प्रतिशत हो गया। 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए विद्युत क्षेत्र का आरओई निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि शुद्ध आय और शेयरधारकों की इक्विटी दोनों ऋणात्मक थीं।

1.7.3 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न की दर

31 मार्च 2023 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य (पीवी) में लाने के लिए, एसपीएसई में राज्य सरकार द्वारा

डाले गए पिछले निवेश/वर्ष-वार धन को वर्ष-वार औसत चक्रवृद्धि ब्याज दर पर किया जाता है। सरकारी उधार, जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार को धन की न्यूनतम लागत माना जाता है। इसलिए, राज्य सरकार के निवेश के पीवी की गणना की गई, जहां राज्य सरकार द्वारा इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण और परिचालन और प्रबंधन व्यय के लिए अनुदान/सब्सिडी के रूप में धनराशि डाली गई थी और यदि कोई हो तो इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2023 तक के विनिवेश को घटा दिया गया ।

एसपीएसई में राज्य सरकार के निवेश के पीवी की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- संबंधित वित्तीय वर्ष[17] के पीवी पर पहुंचने के लिए सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि यह वर्ष के लिए धन के निवेश के लिए सरकार द्वारा खर्च की गई लागत का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए इसे सरकार द्वारा निवेश पर रिटर्न का न्यूनतम अपेक्षित दर माना जाता है।

राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल राज्य सरकार के निवेश के पीवी की समेकित स्थिति के साथ-साथ ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 14 एसपीएसई (केईएल, पीईएल, जेसीएल के अलावा) में राज्य सरकार के निवेश की एसपीएसई-वार स्थिति और 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए कुल आय **परिशिष्ट 1.3** में दी गई है।

एसपीएसई में राज्य सरकार द्वारा कुल निवेश 2018-19 के अंत में 6,114.49 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में 9,762.41 करोड़ रुपये हो गया। राज्य सरकार ने इन एसपीएसई में 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान इक्विटी (₹1,739.90 करोड़) के रूप में और निवेश किया। 31 मार्च 2023 तक 14 एसपीएसई में राज्य सरकार द्वारा डाले गए धन का पीवी ₹10,299.34 करोड़ था। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान, इन एसपीएसई

[17] संबंधित वर्ष के लिए झारखंड सरकार के वित्त खातों से सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर अपनाई गई थी, जिसमें भुगतान किए गए ब्याज की औसत दर = ब्याज भुगतान / [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देनदारियों की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं) / 2] * 100

में निधियों की लागत की वसूली के लिए कुल आय न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न से कम रही।

1.8 नुकसान उठाने वाले एसपीएसई

1.8.1 एसपीएसई को हुए नुकसान

तीन[18] एसपीएसई थे जिन्हें वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान नुकसान हुआ, जैसा कि **तालिका 1.9** में दिया गया है।

तालिका 1.9: 2020-21 से 2022-23 के दौरान घाटे में चलने वाले एसपीएसई की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हानि उठाने वाले एस.पी.एस.ई./सरकारी कंपनी की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि	निवल मूल्य[19]
2020-21	8	-2,721.81	-7,229.19
2021-22	3	-2,520.99	-10,072.88
2022-23	3	-4,050.70	-13,021.63
कुल		**-9,293.50**	**30,323.70**

(स्रोत: नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार)

विद्युत क्षेत्र के तीन उपक्रमों को क्रमशः वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान ₹2,520.99 करोड़ और ₹4,050.70 करोड़ का नुकसान हुआ। नवीनतम जानकारी के अनुसार **तालिका 1.10** में सूचीबद्ध दो एसपीएसई को ₹10 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ।

[18] जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और केईएल

[19] निवल संपत्ति का अर्थ है चुकता शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षित निधियों तथा अधिशेष में से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय को घटाकर प्राप्त कुल राशि। मुक्त आरक्षित निधियों का अर्थ है लाभ और शेयर प्रीमियम खाते से सृजित सभी आरक्षित निधियाँ, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और मूल्यह्रास प्रावधान के अपलेखन से सृजित आरक्षित निधियाँ शामिल नहीं हैं।

तालिका 1.10: एसपीएसई को ₹10 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	एसपीएसई का नाम	अंतिम खाते का वर्ष	कर पश्चात निवल हानि
विद्युत क्षेत्र			
1	झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2022-23	-3,618.51
2	झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	2021-22	-430.11
कुल विद्युत			**-4,048.62**

(स्रोत: नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार)

1.8.2 एसपीएसई के निवल मूल्य का क्षरण

निवल संपत्ति, चुकता शेयर पूंजी और लाभ, प्रतिभूतियों और लाभ-हानि खातों के डेबिट या क्रेडिट शेष से सृजित सभी आरक्षित निधियों का कुल मूल्य है, जिसमें से संचित हानियों, आस्थगित व्यय और लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार अपलिखित न किए गए विविध व्यय का कुल मूल्य घटाया जाता है। हालाँकि, इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और मूल्यह्रास को अपलिखित करने से सृजित आरक्षित निधियाँ शामिल नहीं हैं। विवरण **तालिका 1.11** में दिया गया है।

तालिका 1.11: 31 मार्च 2023 को एसपीएसई के निवल संपत्ति का क्षरण

(₹ करोड़ में)

एसपीएसई का नाम	नवीनतम अंतिम खाते	कुल प्रदत्त पूंजी	कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि और लाभांश	टर्नओवर	संचित हानियाँ	निवल संपत्ति	परिसंपत्तियां (डब्ल्यूडीवी)	31.03.23 को राज्य इक्विटी	31.03.23 को राज्य ऋण
जेबीवीएनएल	2022-23	3,108.93	-3,618.51	6,000.74	-15,206.70	-12,065.74	35,383.45	3,108.93	15,261.78
जेयूएसएनएल	2021-22	1,598.96	-430.11	249.65	-2,226.47	-925.08	7,870.97	1,598.96	2,393.63
जेसीएल	2022-23	1.00	0.01	0.00	-3.98	-2.99	0.99	1.00	3.92
पीईएल	2022-23	0.05	0.01	0.00	-16.41	-16.36	1.34	0.05	0.00
केईल	2022-23	0.05	-2.08	0.00	-30.85	-30.81	8.13	0.05	30.91

झारक्राफ्ट	2021-22	10.00	0.79	3.63	-46.15	-36.15	184.27	10.00	0.00
कुल		**4,718.99**	**-4,049.89**	**6,254.02**	**-17,530.56**	**-13,077.13**	**43,449.15**	**4,718.99**	**17,690.24**

सत्रह एसपीएसई से प्राप्त नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार, छह एसपीएसई का संचित घाटा ₹17,530.56 करोड़ था, जबकि उनकी चुकता पूंजी ₹4,718.99 करोड़ थी। इसलिए, इन एसपीएसई की निवल संपत्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और 31मार्च 2023 को उनकी संचयी निवल संपत्ति (-) ₹13,077.13 करोड़ थी।

1.9 सीएजी द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में वैधानिक लेखा परीक्षकों को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर सीएजी द्वारा नियुक्त किया जाना है।

उन कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षक, जिनके खातों को वर्ष 2022-23 तक अंतिम रूप दिया गया था (**परिशिष्ट 1.1** के अनुसार), सीएजी द्वारा नियुक्त किए गए थे।

1.10 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा खाते प्रस्तुत करना

1.10.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक आम बैठक[20] (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी है। इस तरह की तैयारी के बाद जितनी जल्दी हो सके, वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और ऑडिट रिपोर्ट के पूरक के रूप में सीएजी की टिप्पणियों के साथ विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए। यह तंत्र राज्य की संचित निधि से कंपनियों में

[20] पहली एजीएम के मामले में, यह कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के समापन की तिथि से नौ महीने की अवधि के अंदर और किसी अन्य मामले में,वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तिथि से छह महीने की अवधि अर्थात 30 सितंबर के अंदर आयोजित किया जाएगा।

निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम रखने की आवश्यकता होती है। इसमें यह भी प्रावधान है कि एक एजीएम की तारीख और अगले एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को उनके विचार के लिए उक्त एजीएम में रखा जाना है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का पालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में है।

1.10.2 एसपीएसई द्वारा खाते तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2023 तक, सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे में 32 एसपीएसई थे। वर्ष 2022-23 के खाते सभी 32 एसपीएसई से देय थे। 31 दिसंबर 2023 तक, आठ एसपीएसई ने सीएजी द्वारा ऑडिट के लिए वर्ष 2022-23 के लिए अपने खाते प्रस्तुत किए। विभिन्न कारणों से 24 एसपीएसई के 94 खाते बकाया थे। एसपीएसई के खातों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण **तालिका 1.12** में दिया गया है।

तालिका 1.12: खातों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण

विवरण		एसपीएसई	खातों की संख्या
31 मार्च 2023 को सीएजी के लेखापरीक्षा के दायरे में कंपनियों की कुल संख्या		32	32
उन कंपनियों की संख्या जिनसे 2022-23 के लिए खाते देय थे		32	32
31 दिसंबर 2023 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2022-23 के लिए खाते प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या		8	8
बकाया खातों की संख्या		**24**	**94**
बकाया खातों का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2022-23)	08	08
	दो वर्ष (2021-22 और 2022-23)	01	02
	तीन साल और उससे अधिक	15	84

(स्रोत: प्राप्त वार्षिक खातों के आधार पर संकलित)

1.11 सीएजी की निगरानी - खातों की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

1.11.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कंपनियों को वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों के पालन में, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण[21] के रूप में नामित लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से तैयार करना है ।

1.11.2 सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के खातों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, सरकारी कंपनियों के खातों की लेखापरीक्षा करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखापरीक्षा में वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करके एक निरीक्षण भूमिका निभाता है, जिसका समग्र उद्देश्य यह है कि वैधानिक लेखा परीक्षक उन्हें उचित और प्रभावी ढंग से सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करते हैं। यह कार्य निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करके किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों को निर्देश जारी करना; तथा
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन का पूरक या टिप्पणी।

1.11.3 सरकारी कंपनियों के खातों की पूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की प्राथमिक जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक भारतीय चार्टेड एकांउटेंट्स

[21] 01 अक्टूबर 2018 से प्रभावी।

संस्थान की मानक लेखा परीक्षा प्रथाओं और सीएजी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सीएजी को प्रस्तुत करना है।

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित खातों की समीक्षा सीएजी द्वारा पूरक लेखा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन, यदि कोई हो, एजीएम के समक्ष रखा जाना है।

1.12 सीएजी की निरीक्षण भूमिका का परिणाम

1.12.1 एसपीएसई के खातों की लेखापरीक्षा

वर्ष 2022-23 और इससे पहले के वर्ष से संबंधित 23 एसपीएसई के कुल 43 वित्तीय विवरण[22] 01 अक्टूबर 2022 और 31 दिसंबर 2023 के बीच प्राप्त हुए थे। इनमें से सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में 18 एसपीएसई के 35 वित्तीय विवरणों की समीक्षा की गई और पांच एसपीएसई के आठ वित्तीय विवरणों के लिए गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया था ।

1.12.2 वित्तीय विवरणों का संशोधन

01 अक्टूबर 2022 से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान, एक एसपीएसई (यानि, रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने एजीएम में इसे रखने से पहले वर्ष 2021-22 के लिए पूरक लेखापरीक्षा के बाद अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन किया।

1.12.3 लेखा परीक्षकों की प्रतिवेदन का संशोधन

01 अक्टूबर 2022 से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान, पांच[23] मामले

[22] 2022-23 (08); 2021-22 (13); 2020-21 (06); 2019-20 (04); 2018-19 (02); 2017-18 (04); 2016-17 (04); 2015-16 (01) और 2014-15 (01)

[23] जेयूएसएनएल, जेपीपीएल, जीड्को, जीआरडीए, जेआरआईडीसीएल

ऐसे थे जहां सीएजी द्वारा आयोजित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की प्रतिवेदनों को संशोधित किया गया था।

1.12.4 वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों के वित्तीय निहितार्थ

एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर 1 अक्टूबर 2022 से 31 दिसंबर 2023 के बीच जारी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों के वित्तीय निहितार्थ ₹437.04 करोड़ लाभप्रदता पर और ₹3,053.09 करोड़ उनकी वित्तीय स्थिति पर थे।

1.13 कॉर्पोरेट शासन

1.13.1 कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान

कंपनी अधिनियम, 2013 को कंपनी अधिनियम, 1956 के स्थान पर 29 अगस्त 2013 को अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रबंधन और प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता, निदेशक मंडल की बैठकों और इसकी शक्तियों और खातों पर कंपनी नियम, 2014 को भी अधिसूचित किया है (31 मार्च 2014) । कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी नियमों के साथ, कॉर्पोरेट शासन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है।

1.13.2 निदेशक मंडल की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 में कहा गया है कि प्रत्येक कंपनी अपने निगमन की तारीख से तीस दिनों के भीतर निदेशक मंडल की पहली बैठक आयोजित करेगी और उसके बाद हर साल अपने निदेशक मंडल की न्यूनतम चार बैठकें आयोजित करेगी और इस तरह से कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए।

2020-21 से 2022-23 के दौरान एसपीएसई के निदेशक मंडल द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या **तालिका 1.13** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.13: 2020-21 से 2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या

क्र.सं.	एसपीएसई का नाम	2020-21	2021-22	2022-23
1	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	0	2	2
2	झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1	0	0
3	झारखंड राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1	1	2
4	झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	1	2
5	झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड	2	3	0
6	झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम	0	1	1
7	झारखंड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड	1	1	1
8	झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	1	1
9	ग्रेटर रांची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	1	1	0
10	झारखंड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2	2	1
11	झारखंड रेशम कपड़ा और हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	1	1	3
12	झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	2	2	1
13	झारखंड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	1	0	2
14	झारखंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	2	2
15	झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2	1	2
16	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2	6	2
17	झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	3	2
18	झारखंड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2	2	3
19	रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	3	2
20	झारखंड राज्य पेय निगम लिमिटेड	1	1	4
21	झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	4	-	5
22	करणपुरा एनर्जी लिमिटेड	4	3	4

क्र.सं.	एसपीएसई का नाम	2020-21	2021-22	2022-23
23	पतरातू एनर्जी लिमिटेड	4	3	4
24	झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	5	4

(स्रोत: कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी)

तालिका 1.13 से यह देखा जा सकता है कि झारखंड के 32 एसपीएसई में से 24 ने 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान हर साल निदेशक मंडल की न्यूनतम चार बैठकें आयोजित करने के लिए अधिनियम के प्रावधान का पालन नहीं किया।

1.14 आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा

1.14.1 आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका

आंतरिक लेखा परीक्षक संस्थान (आईआईए) आंतरिक लेखा परीक्षा को "मूल्य जोड़ने और संगठन के संचालन में सुधार के लिए डिज़ाइन की गई एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ आश्वासन और परामर्श गतिविधि के रुप में परिभाषित करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा गतिविधि किसी संगठन को जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और सुधार करने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण लाकर अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करती है"। तदनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करना है कि एक संगठन का जोखिम प्रबंधन, शासन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

आईसीएआई[24] द्वारा जारी (फरवरी 2009) आंतरिक लेखापरीक्षा को नियंत्रित करने वाला ढांचा, शासन को बढ़ाने और संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता पर एक स्वतंत्र आश्वासन के रूप में आंतरिक लेखापरीक्षा को परिभाषित करता है।

1.14.2 कानूनी ढांचा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138(1) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 13 में प्रावधान है कि (ए) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी; और (बी) प्रत्येक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसके पास पचास करोड़ रुपये या उससे

[24] आंतरिक लेखा परीक्षा के मानक (एसआईए) 120

अधिक की चुकता शेयर पूंजी है; या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दो सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर; या बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक के बकाया ऋण या उधार; या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पच्चीस करोड़ रुपये या उससे अधिक की बकाया जमा, को एक आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता होगी, जो या तो चार्टर्ड एकाउंटेंट या कॉस्ट एकाउंटेंट होगा, या ऐसा अन्य पेशेवर जिससे बोर्ड द्वारा कंपनी के कार्यों और गतिविधियों की आंतरिक लेखा परीक्षा करने का, निर्णय लिया जा सकता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 (2) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार, नियम द्वारा, उस तरीके और अंतराल को निर्धारित कर सकती है जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाएगी और बोर्ड को रिपोर्ट की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि 13 एसपीएसई (**परिशिष्ट 1.4**) में से, जिन्हें ऊपर उल्लिखित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना आवश्यक था, दस[25] एसपीएसई ने चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों के माध्यम से आंतरिक लेखा परीक्षा की थी और एक एसपीएसई (जेयूवीएनएल) ने कहा था कि इसका अपना आंतरिक लेखा परीक्षा विंग था लेकिन अभी तक (जनवरी 2025 तक) कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई थी। इसके अलावा, दो एसपीएसई (जेबीवीएनएल और झालको) ने भी 2022-23 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की थी।

1.15 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, निवेशकों और समुदायों सहित अपने हितधारकों के हितों को मान्यता देते हुए, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से सतत् तरीके से काम करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता है। यह लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों को अपने मुनाफे का एक हिस्सा सामान्य सामाजिक भलाई के लिए समर्पित करने के लिए दिया गया अधिदेश है ताकि समाज को वापस दिया जा सके, जिसके भीतर वे काम

[25] जेयूएसएनएल, टीवीएनएल, जीआरडीएएल, जेसीएनएल, जेईएमसीएल, झारक्राफ्ट, जुड्को, आरएससीसीएल, जेएसबीसीएल और जेएसबीसीसीएल

करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सीएसआर अधिदेश को शामिल करना, विकास के लाभों को समान रूप से वितरित करने और देश के विकास एजेंडे में कॉर्पोरेट दुनिया को शामिल करना, सरकार के प्रयासों को पूरक करने का एक प्रयास है।

भारत सरकार ने अगस्त 2013 में कंपनी अधिनियम, 2013 लागू किया। धारा 135 के तहत सीएसआर प्रावधान वाले कंपनी अधिनियम (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अधिनियमन के साथ, सीएसआर के लिए अधिदेश देश में कॉर्पोरेट प्रशासन का एक हिस्सा बन गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में प्रत्येक कंपनी के निदेशक मंडल को शामिल किया गया है, जिसकी निवल संपत्ति पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार है, या पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी अपने तत्काल तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर खर्च करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उन गतिविधियों की सूची शामिल है जिन्हें कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीति में शामिल किया जा सकता है। इनमें स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास, सामाजिक और लिंग समानता, पर्यावरण स्थिरता, राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति, सशस्त्र बल, खेल, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि, प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर, ग्रामीण विकास परियोजनाएं, स्लम क्षेत्र विकास, क्षमता निर्माण आदि से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।

अधिनियम के अलावा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 जारी किया था, और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सीएसआर के तहत गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन में पारदर्शिता और उचित परिश्रम के पालन पर एक कार्यलय ज्ञापन जारी किया था (अगस्त 2016)।

झारखंड में 32 एसपीएसई में से, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सीएसआर के प्रावधान केवल 10 एसपीएसई पर लागू थे। पिछले चार वर्षों के दौरान इन 10 एसपीएसई द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों का विवरण **तालिका 1.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.14: सीएसआर गतिविधियों का कंपनी-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	कंपनी का नाम	क्या सीएसआर समिति गठित की गई है	क्या समिति ने सीएसआर नीति तैयार की है और इसकी सिफारिश की है	सीएसआर पर वर्ष-वार व्यय							
				2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
				आबंटित	वास्तविक व्यय	आबंटित	वास्तविक व्यय	आबंटित	वास्तविक व्यय	आबंटित	वास्तविक व्यय
1	झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	हाँ	नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	हाँ	नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	हाँ	नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ग्रेटर रांची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	हाँ	हाँ	0.08	0.08	0.11	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
5	झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	नहीं	नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	हाँ	हाँ	0.17	0.00	0.20	0.00	0.27	0.06	0.24	0.00

क्र.सं	कंपनी का नाम	क्या सीएसआर समिति गठित की गई है	क्या समिति ने सीएसआर नीति तैयार की है और इसकी सिफारिश की है	सीएसआर पर वर्ष-वार व्यय							
				2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
				आबंटित	वास्तविक व्यय	आबंटित	वास्तविक व्यय	आबंटित	वास्तविक व्यय	आबंटित	वास्तविक व्यय
7	रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	झारखंड राज्य पेय निगम लिमिटेड	नहीं	नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00
9	झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	हाँ	नहीं	0.34	0.00	0.51	0.00	0.50	0.00	0.64	0.00
10	झारखंड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	नहीं	नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(स्रोत: कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी)

विद्युत क्षेत्र की किसी भी कंपनी ने अपनी सीएसआर नीति तैयार नहीं की थी। गैर- विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के मामले में, केवल तीन कंपनियां (अर्थात जीआरडीए, जूडको और आरएससीसीएल) ने अपनी सीएसआर नीतियां तैयार की थीं। हालांकि कुछ एसपीएसई (यानी जुड्को, जेएसबीसीएल और जेएसबीसीसीएल) ने 2022-23 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹ 1.09 करोड़ की धनराशि आवंटित की थी, उन्होंने इसे खर्च नहीं किया।

1.16 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्टें लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, झारखंड सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समिति (सीओपीयू) से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना निर्धारित प्रारूप में

विधानमंडल को प्रस्तुत करने के तीन महीने की अवधि के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाएँ/समीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक नोट प्रस्तुत करने के निर्देश भी जारी किए थे (नवंबर 2015)। हालांकि, किसी भी विभाग (अक्टूबर 2024) द्वारा कोई उत्तर/व्याख्यात्मक नोट प्रस्तुत नहीं किया गया था।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

2022-23 के दौरान चौदह सीओपीयू बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015-16 से 2018-19 से संबंधित आठ लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर चर्चा की गई।

सीओपीयू की प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11 और 2012-13 के लिए पांच सीओपीयू प्रतिवेदनों में निहित चार विभागों (वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, खान और भूविज्ञान, गृह, जेल और आपदा प्रबंधन और उद्योग) से संबंधित कंडिकाओं के संबंध में नौ सिफारिशों के खिलाफ एसपीएसई से कोई एटीएन प्राप्त नहीं हुआ था, जिन्हें 2013-23 के दौरान राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया गया।.

1.17 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक, झारखंड में 32 एसपीएसई थे, जिसमें तीन निष्क्रिय एसपीएसई शामिल थे। इनमें से आठ एसपीएसई ने वर्ष 2022-23 (31 दिसंबर 2023 तक) के लिए अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए थे। हालांकि, 24 एसपीएसई से संबंधित 94 खाते बकाया थे (31 दिसंबर 2023 तक)।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 12 एसपीएसई (तीन विद्युत और नौ गैर-विद्युत क्षेत्र) द्वारा अर्जित ₹90.71 करोड़ के कुल लाभ में से तीन एसपीएसई (जेएसबीसीसीएल, जेईएमसीएल और जेयूयूएनएल) द्वारा 83.30 प्रतिशत का योगदान दिया गया था। 12 लाभ कमाने वाले एसपीएसई में से किसी ने भी 2022-23 के दौरान लाभांश की घोषणा नहीं की थी। 2022-23 के दौरान तीन एसपीएसई द्वारा किए गए ₹4,050.70 करोड़ के कुल नुकसान में से,

₹3,618.51 करोड़ का नुकसान (अर्थात 89.33 प्रतिशत) एक एसपीएसई (झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड) द्वारा किया गया था।

एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों (अक्टूबर 2022 से 31 दिसंबर 2023) का वित्तीय प्रभाव उनकी लाभप्रदता पर ₹437.04 करोड़ और वित्तीय स्थिति पर ₹3,053.09 करोड़ था।

1.18 सिफारिशें

1. राज्य सरकार एसपीएसई के प्रबंधन पर अपने वित्तीय विवरण समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाल सकती है। अंतिम रूप दिए गए खातों के अभाव में, ऐसे एसपीएसई में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है।

2. राज्य सरकार निष्क्रिय एसपीएसई (कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड) के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में एक नीतिगत निर्णय ले सकती है।